बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक......................../ पटना, दिनांक.......................

सं०सं०–03/उ०नि०/भवन जीर्णो0)–03/2017

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

विषयः– **आदर्श लौह कर्मशाला एवं आदर्श काष्ठ कर्मशाला, पूसा रोड, समस्तीपुर का जीर्णोद्धार एवं चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु द्वितीय (अंतिम) किस्त के रूप में शेष ₹2,44,88,671.00 (दो करोड़ चौवालीस लाख अठासी हजार छः सौ एकहत्तर रूपये) मात्र की विमुक्ति/निकासी के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1426, दिनांक–12.03.2019 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा आदर्श लौह कर्मशाला एवं आदर्श काष्ठ कर्मशाला, पूसा रोड, समस्तीपुर का जीर्णोद्धार एवं चहारदीवारी निर्माण कार्य हेतु द्वितीय (अंतिम) किस्त के रूप में शेष **₹2,44,88,671.00 (दो करोड़ चौवालीस लाख अठासी हजार छः सौ एकहत्तर रूपये) मात्र** की विमुक्ति/निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–1615, दिनांक–28.03.2019 द्वारा राशि की निकासी वित्त विभाग के शिथिलीकरण आदेश नहीं रहने के कारण सचिवालय, कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना द्वारा नहीं हो पायी।

(3) यह राज्य सरकार की एक चालू योजना है।

(4) इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा), उद्योग भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना को नामित किया गया है।

(5) उक्त योजना हेतु प्रस्तावित राशि का व्यय वहन **मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–102 औधोगिक उत्पादकता, मांग संख्या–23, उपशीर्ष 0163–व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओ का सृजन विकास एवं रख रखाव–बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड 23-2852801020163, विषय शीर्ष 27 01 लघु कार्य मद में** वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से **₹2,44,88,671.00 (दो करोड़ चौवालीस लाख अठासी हजार छः सौ एकहत्तर रूपये) मात्र** विकलीत होगा। जिसके लिये यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

(6) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना के **PL Account–PLA–268** में उपलब्ध करायेंगे।

(7) इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होगें जो इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

(8) राशि की निकासी बी0टी0सी0 फार्म सं0–46 पर की जायेंगी।

(9) प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–03/उ०नि०/भवन जीर्णो0)–03/2017, के **पृष्ट–43/टि0** पर दिनांक–**04.06.2019** को प्राप्त है। जिसकी डायरी सं0–1047/IDC, दिनांक–**04.06.2019** है।

क्रमशः पृष्ट–02

(10) स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या–*03/उ०नि०/भवन जीर्णो0)–03/2017,* के **पृष्ट–46/टि0** पर दिनांक–**05.07.2019** को प्राप्त है। जिसकी डायरी सं0–1135/IDC, दिनांक–**20.06.2019** है।

(11) वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
सं०सं०–03/उ०नि०/भवन जीर्णो0)–03/2017
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक........................../
सं०सं०–03/उ०नि०/भवन जीर्णो0)–03/2017
पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2804/
सं०सं०–03/उ०नि०/भवन जीर्णो0)–03/2017
पटना, दिनांक 25.7.19

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रबंध निदेशक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गॉधी मैदान, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर/बजट शाखा, उद्योग विभाग/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा–3(उ0नि0)/प्रशाखा–1 योजना (स0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रदीप कुमार)
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

09.7.19